



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / Y.P. & S.D. - 09 / 2025-26 / 1153

दिनांक : 08.07.2025

प्रति,

क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त)

जिला प्रबंधक (समस्त)

- विषय : यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु पूर्व प्रसारित दरों की वैधता अवधि में वृद्धि किये जाने बाबत।
- संदर्भ : (1) यात्री प्रतीक्षालय-स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024
(2) मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी दर प्रसारण परिपत्र दि. 07.06.2024
(3) मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की वैधता अवधि बढ़ाये जाने संबंधी पत्र क्रमांक 2039 दिनांक 06.09.2024
(4) मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की वैधता अवधि बढ़ाये जाने संबंधी पत्र क्रमांक 2748 दिनांक 09.11.2024
(5) मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की वैधता अवधि बढ़ाये जाने संबंधी पत्र क्रमांक 4244 दिनांक 28.02.2025
(6) मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की वैधता अवधि बढ़ाये जाने संबंधी पत्र क्रमांक 378 दिनांक 07.05.2025

उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 02 के माध्यम से यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु दरों का प्रसारण जारी किया गया था, जिसकी वैधता अवधि 07.06.2024 से आगामी 03 माह अर्थात् दिनांक 06.09.2024 तक निर्धारित थी। निर्धारित तिथि के पश्चात प्रसारित दरों की वैधता अवधि को निम्नानुसार बढ़ाया गया है :-

क्र.	प्रसारण परिपत्र क्रमांक	दरों की वैधता अवधि में वृद्धि	रिमार्क
01.	2039 दिनांक 06.09.2024	02 माह (अर्थात् दिनांक 07.09.2024 से 06.11.2024 तक)	प्रथम बार
02.	2748 दिनांक 05.11.2024	03 माह (अर्थात् दिनांक 07.11.2024 से 05.02.2025 तक)	द्वितीय बार
03.	4244 दिनांक 28.02.2025	03 माह (अर्थात् दिनांक 06.02.2025 से 05.05.2025 तक)	तृतीय बार
04.	378 दिनांक 07.05.2025	01 माह (अर्थात् दिनांक 06.05.2025 से 05.06.2025 तक)	चतुर्थ बार

प्रसारित दरों की वैधता अवधि दिनांक 05.06.2025 को समाप्त हो गयी है। अतः निगम व्यवसाय को दृष्टिगत रखते हुए यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु पूर्व प्रसारित दरों पर 21 जुलाई 2025 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुमति प्रदान की जाती है :-

- दिनांक 05.06.2025 तक जिन कार्यों की ए.एस. जारी हो चुकी है या जिनके कोटेशन/टी.एस. प्रेषित किये जा चुके हैं उन्हीं प्रकरणों में कार्य किया जाना है।
- जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक क्वालिटी का विशेष ध्यान रखें। स्थान की फोटो तीनों एंगल से जियोटेग करवाकर जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक रिकार्ड में रखें एवं एक प्रति मुख्यालय को भेजें।
- सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की समस्त जिम्मेदारी निगम के जिला प्रबंधक की रहेगी।

प्रबंध संचालक के आदेशानुसार

प्रतिलिपि :-

- निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

प्रबंधक (विपणन)

प्रबंधक (विपणन)